

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-309/16 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

173

प्रक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव ।

पटना, दिनांक:- 20.3.17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तराज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-पी 2230011140102) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2204 दिनांक-19.05.16 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च 2017 तक व्यय के निमित्त "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत", श्रम संदर्भ पुस्तिका 2016-17, बुकलेट, पम्पलेट एवं प्रपत्रों के प्रकाशन पर होने वाले व्यय हेतु विषयशीर्ष विज्ञापन और प्रकाशन (26 01) से ₹ 3,26,750/- (₹ तीन लाख छब्बीस हजार सात सौ पचास) मात्र का आवंटन किया जाता है ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
5. आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
6. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

20.03.17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/16 श्र0सं0-

173

पटना, दिनांक

20.3.17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

20.03.17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/16 श्र0सं0-

173

पटना, दिनांक-

20.3.17

*स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-81 (श्रम पक्ष) दिनांक-17.03.17 के आलोक में /लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/बजट शाखा प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

20.03.17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।